



**कार्यालय
अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन**



सं०: 411/ए0सी0एस0(बेसिक/माध्यमिक शिक्षा)/2026

लखनऊ : दिनांक: 22 जून, 2026

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ०प्र०।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०।
3. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ०प्र०।

विषय: शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश दिनांक 04 जून, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. यद्यपि उपरोक्त विषयक शासनादेश में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित मापदण्ड 05 बिन्दुओं में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं फिर भी पुनः यह स्पष्ट किया जा रहा है कि पति और पत्नी यदि दोनों बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षक हैं तो पति एवं पत्नी में से जिसके द्वारा स्थानान्तरण हेतु आवेदन प्रपत्र भर कर दिया जायेगा जायेगा, केवल उसी के स्थानान्तरण संबंधी अनुरोध पर विचार किया जायेगा। आवेदन न करने वाले पति/पत्नी का स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

3. जनपदवार पी0टी0आर0 संलग्न है।।

4. कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न-यथोपरि।

22.06.2026

(पार्ष साखी सेन शर्मा)

अपर मुख्य सचिव
बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन